2024|45

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री पुखराज निवासी खारी रोड भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय कालन्द्री

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 15 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
20.03.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय कालन्द्री को दिनांक 03.02.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि विक्रय विलेख संख्या 202403328100060 दिनांक 11.01.2024 जो अचलसिंह पुत्र श्री विजयराजसिंह राजपूत के पक्ष में निष्पादित होकर पंजीयन हुआ। इस दस्तावेज के साथ संलग्न मुख्त्यारनामा (जो इस दस्तावेज बेचान का आधारभूत दस्तावेज है और यह धारा 74 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एक लोक दस्तावेज है) की प्रमाणित प्रति कुल चार प्रतियों में उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय कालन्द्री को दिनांक 03.02.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि विक्रय विलेख संख्या 202403328100060 दिनांक 11.01.2024 जो अचलसिंह पुत्र श्री विजयराजसिंह राजपूत के पक्ष में निष्पादित होकर पंजीयन हुआ। इस दस्तावेज के साथ संलग्न मुख्त्यारनामा (जो इस दस्तावेज बेचान का आधारभूत दस्तावेज है और यह धारा 74 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एक लोक दस्तावेज है) की प्रमाणित प्रति कुल चार प्रतियों में उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय कालन्द्री से सम्बन्धित है। चूंकि सहायक लोक सूचना अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय कालन्द्री के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (शुभम चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:20:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner